केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

CENTRAL BOARD OF FILM CERTIFICATION

फेज़-1, 9वींमंजिल ,फिल्म प्रभाग कॉम्प्लेक्स ,डॉ.देशमुख मार्ग,मुंबई 400026

9th floor, Phase I bldg., Films Division Complex, G.DeshmukhMarg, Mumbai 400026

संख्याःएफ/11018/1/2024-प्रशा

दिनांक 06.05.2026

<u>परिपत्र</u>

विषयः- सिनेमाघरों में फीचर फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन में श्रवण और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए अभिगम्यता मानकों के दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन और रिट याचिका (सी) 16833/2024 (राहुल बजाज बनाम मूर्ति मूवी मेकर्स और अन्य) में दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय निर्देशों का अनुपालन।

1. उपरोक्त विषय के संदर्भ में, यह सूचित करना है कि श्रवण एवं दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सिनेमाघरों में फीचर फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन में अभिगम्यता मानकों के दिशानिर्देशों के संदर्भ में दिनांक 15.3.2024 को जारी अधिसूचना में निम्नलिखित बातें स्पष्ट की गई हैं।

   i. अनुच्छेद 5.4 (i) के अनुसार, सिनेमाघरों के लाइसेंसधारियों को निर्धारित उपकरण स्थापित करके आवश्यक परिवर्तन करने होंगे। इससे दिव्यांगजनों को नियमित शो के दौरान कुछ विशेष सीटों पर बैठकर फिल्म का आनंद लेने में सहायता मिलेगी, क्योंकि वहां उपलब्ध कराई गई सुविधाओं से फिल्म देखने में आसानी होगी।

   ii. पैरा 5.4 (ii) मोबाइल ऐप का उपयोग (नियमित प्रदर्शन के दौरान) - फिल्म निर्माता, सिनेमाघरों में फिल्मों की सामान्य स्क्रीनिंग के दौरान सुलभता सुविधा को बढ़ाने के लिए फिल्म के सीसी और एडी (CC & AD) को किसी भी उपयुक्त सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन में एकीकृत करने का प्रयास करेंगे, जिसे उपयोगकर्ता अपने व्यक्तिगत उपकरण पर उपयोग के लिए डाउनलोड कर सकते हैं।

2. अतः समय-समय पर संशोधित चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 6ए के अनुसार और अभिगम्यता दिशानिर्देशों के अनुपालन में, आवेदक द्वारा सीबीएफसी में नियमित स्क्रीनिंग हेतु उपलब्ध कराए गए सभी ऐप्स/ सॉफ्टवेयर का उपयोग केवल आवेदकों/निर्माताओं द्वारा ही सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए किया जाना चाहिए।

3. इसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

06/05/26

(दीपा सुब्रमणियन)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई

दूरभाष 022-23510479

ईमेल : sraomum.cbfc@gov.in

सेवा में,

1. नोटिस बोर्ड
2. वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
3. अवर सचिव(फिल्म), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ
4. गार्ड फाईल